



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-2, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 20 अप्रैल, 2023
चैत्र 30, 1945 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 152/79-वि-1-2023-2-क-5-2023
लखनऊ, 20 अप्रैल, 2023

अधिसूचना
विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2023) जिससे कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2023
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2023)

[भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :-

1-यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2023 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 25
सन् 1964 की धारा
9-क का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 9-क में, उपधारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

“(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी मण्डी समिति द्वारा यथा विहित रीति से थोक व्यापारी हेतु जारी लाइसेंस को एकीकृत लाइसेंस माना जायेगा। एकीकृत लाइसेंसधारी राज्य के किसी मण्डी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए प्राधिकृत होगा।”

धारा 17-क का
संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 17-क की उपधारा (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

“(ग) जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ वह, राज्य के बाहर से प्रसंस्करण हेतु लाये गये विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर यथा विहित रीति से मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर में छूट प्रदान कर सकती है।”

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य के बाहर से लाये गये कृषि उत्पाद को प्रसंस्करण इकाई द्वारा सीधे क्रय किया जायेगा और विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर राज्य, जहाँ कृषि उत्पाद लाया गया हो, में प्रवृत्त विधि, यदि कोई हो, के अनुसार मण्डी शुल्क एवं उपकर, यदि कोई हो, का सम्यक रूप से भुगतान किया जायेगा।

“(घ) खण्ड (क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना और राज्य में उत्पादित विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विपणन और उसे उक्त इकाईयों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाने हेतु प्रोत्साहित करना लोकहित में आवश्यक एवं समीचीन है वहाँ वह, ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर यथा विहित रीति से मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर में छूट प्रदान कर सकती है।”

प्रतिबन्ध यह है कि प्रसंस्करण इकाई उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद, राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रीति से, उत्तर प्रदेश राज्य में सीधे कृषकों से क्रय करेगी।

“(ङ) राज्य सरकार पूर्वोक्त खण्ड (ग) एवं (घ) के अधीन प्रदत्त छूट के फलस्वरूप राज्य की समस्त मण्डी समितियों की आय में विहित रीति से आगणित कुल कमी की प्रतिपूर्ति, वार्षिक आय-व्ययक के माध्यम से करेगी।”

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 152(2)/LXXIX-V-1-2023-2(ka)-5-2023

Dated Lucknow, April 20, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 5 of 2023) promulgated by the Governor. The Krishi Vipanana Evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI
(SANSHODHAN) ADHYADESH, 2023
(U.P. ORDINANCE NO. 5 OF 2023)

[Promulgated by the Governor in the Seventy fourth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964

Whereas, the state legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2023. Short title

2. In the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (hereinafter referred to as the "principal Act") in Section 9-A after sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely:- Amendment of section 9-A of U.P. Act no. 25 of 1964

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) licences issued to a wholesale trader by any mandi samiti, in the manner as may be prescribed, shall be treated as Unified Licence. The Unified Licensee shall be authorized to trade in any market area of the State."

3. In sub-section (1) of Section 17-A of the principal Act, after clause (b), the following clauses shall be *inserted*, namely:- Amendment of section 17-A

"(c) Where the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient to encourage the establishment of processing units in the State, it may exempt market fee and development cess on specified agricultural produce brought from outside the State for processing, in such manner as may be prescribed:

Provided that the agricultural produce brought from outside the State shall be purchased directly by the processing unit and the market fee and cess on specified agricultural produce, if any, shall be duly paid according to the law, if any, in force in the State from where the agricultural produce is brought.

(d) Notwithstanding anything contained in clause (a), where the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to encourage the establishment of processing units in the State and to promote the marketing of specified agricultural produce cultivated in the State and to be used as raw material by said units, it may exempt market fee and development cess on such specified agricultural produce in such manner as may be prescribed:

Provided that the processing unit shall purchase specified agricultural produce directly from the farmers in the State of Uttar Pradesh, in such manner as may be prescribed by the State Government.

(e) The State Government shall reimburse the total shortfall, calculated in the prescribed manner, in the income of all market committees of the State as a result of the exemption given under the aforesaid clauses (c) and (d) through Annual Income-Expenditure. "

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 239 राजपत्र-2023-(287)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा० विधायी-2023-(288)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।